

प्रारंभिक परीक्षा

अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (UDA) पर भारत-अमेरिका सहयोग

संदर्भ

भारत और अमेरिका ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस के माध्यम से अपने अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (UDA) सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस(ASIA) के बारे में -

- ASIA भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ाना है, विशेष रूप से स्वायत्त प्रणालियों और अंडरवॉटर डोमेन अवेयरनेस (UDA) के क्षेत्र में।
 - UDA एक समुद्री अवधारणा है जिसमें समुद्र के नीचे की हर चीज पर नजर रखने के लिए प्रौद्योगिकी, रणनीति, नीतियों आदि का उपयोग करना शामिल है।
- इसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उद्योग साझेदारी और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
- ASIA के मुख्य उद्देश्य:
 - रक्षा संबंधों को मजबूत करना: ASIA उन्नत स्वायत्त प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है।
 - पानी के भीतर के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना: प्राथमिक ध्यान UDA प्रौद्योगिकियों पर है, जो समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत को अमेरिकी पेशकश -

- भारत संवेदनशील UDA प्रौद्योगिकियों पर अमेरिकी उद्योग सहयोग प्राप्त करने वाला पहला देश है।
- सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसर:
 - सी पिकेट ऑटोनोमस सर्विलांस सिस्टम (ThayerMahan)
 - o वेव ग्लाइडर अन्मैन्ड सर<mark>फेस व्हीकल्स (USVs)</mark> (बोइंग लिक्किड रोबोटिक्स)
 - लॉ-फ्रीक्वेंसी एक्टिव-टोव्ड सोनार (L3 हैरिस)
 - मल्टीस्टेटिक एक्टिव (एमएसए) सोनोबॉय (अल्ट्रा मैरीटाइम, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ सह-निर्मित)
 - लार्ज डाईमीटर ऑटोनोमस अंडरसी व्हीकल्स (एंडुरिल)
 - ट्राइटन ऑटोनोमस अंडरवाटर एंड सरफेस व्हीकल्स (ओशन एयरो)

स्रोत: The Hindu - Underwater domain awareness



वैवाहिक बलात्कार अपवाद

संदर्भ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-375 के तहत वैवाहिक बलात्कार से छूट, IPC की धारा-377 पर भी लागू होती है।

प्रमुख कानूनी प्रावधान -

- IPC की धारा-375 (बलात्कार):
 - इसमें बलात्कार को किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमित के बिना या कुछ अन्य परिस्थितियों में यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - धारा-375(IPC) के तहत अपवाद 2: इसमें कहा गया है कि यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है तो पित और पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा।
 - भारतीय न्याय संहिता(BNS) के अंतर्गत परिवर्तन: इसमें धारा-63 के अंतर्गत समान अपवाद को बरकरार रखा गया है, लेकिन महिला की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा-377 (अप्राकृतिक अपराध):
 - यह धारा "किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के विरुद्ध शारीरिक संभोग"
 को अपराध बनाती है, जिसका मूल उद्देश्य समलैंगिकता को अपराध बनाना था।
 - इसमें धारा-375 में पाया गया वैवाहिक बलात्कार अपवाद शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय का फैसला -

- वैवाहिक बलात्कार अपवाद की व्याख्या:
 - न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा-375 में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद शामिल है, जिसका अर्थ है कि विवाह के भीतर बिना सहमित के यौन संबंध बनाना बलात्कार के रूप में दंडनीय नहीं है।
 - इस अपवाद को देखते हुए<mark>, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा-377 को विवाहित जोड़ों</mark> के बीच गैर-सहमति वा<mark>ले कृत्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह धारा-375 के सिद्धांत का खंडन करेगा।</mark>
- धारा 377 और गैर-सहमित वाले कृत्य
 - उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 377 गैर-सहमित वाले "अप्राकृतिक अपराधों" को दंडित करना जारी रखती है, लेकिन 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के फैसले के बाद, धारा 377 केवल गैर-सहमित वाले कृत्यों, जैसे कि पशुगमन (bestiality) पर लागू होती है।
 - इसलिए, न्यायालय ने माना कि यदि विवाहित भागीदारों के बीच सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनता है, तो धारा 377 लागू नहीं होती, क्योंकि इसे अपराध नहीं माना जाता।
- फैसले के निहितार्थ 🔄 विवाहित महिलाओं के लिए कानूनी सहारा का नुकसान
 - पहले विवाहित मिहलाएं जो बिना सहमित के यौन संबंध का सामना करती थीं, उन्होंने सहमित के बिना यौन कृत्यों के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए धारा 377 का इस्तेमाल किया। इस फैसले के बाद अब उनके पास वह सहारा नहीं है, क्योंकि धारा 377 को अब वैवाहिक बलात्कार से भी छूट मिल गई है।

स्रोत: Indian Express - Marital Rape Exception



प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक नई योजना प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के बारे में -

- उद्देश्य:
 - कृषि उत्पादकता बढ़ानाः कृषि गतिविधियों से समग्र उत्पादन में सुधार करना।
 - फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनानाः विविध फसल प्रणालियों
 और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
 - सिंचाई सुविधाओं में सुधार: खेती के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए बेहतर सिंचाई
 प्रणाली सुनिश्चित करना।
 - फसल-उपरांत भंडारण को बढ़ावा देना: फसल की बर्बादी को रोकने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) से प्रेरित है, जिसे 2018 में "देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी रूप से बदलने" के लिए लॉन्च किया गया था।
 - ADP ने 3C पर ध्यान केंद्रित किया: Convergence(अभिसरण), Collaboration(सहयोग)
 और Competition (प्रतिस्पर्धा)।
- चयन के लिए मापदंड:
 - o **कम उत्पादकता**: कम कृषि उत्पादन वाले जिले।
 - मध्यम फसल गहनताः फसल गहनता, जो भूमि उपयोग की दक्षता को मापती है, पर विचार किया जाएगा।
 - इसे सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 - उदाहरण के लिए, 2021-22 में भारत की फसल गहनता 155% थी, जो दर्शाती है कि भूमि का कितनी कुशलता से उपयोग किया गया।
 - औसत से कम ऋण मानदंड: प्रत्येक जिले में किसानों को उपलब्ध वित्तीय ऋण पर विचार किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ -

- लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- बजट आवंटन: कोई अलग आवंटन की घोषणा नहीं की गई; धन का प्रबंधन मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा।

स्रोत: Indian Express - Dhan Dhanya Krishi Yojna



पंचायत राज प्रणाली की अंतरण सूचकांक रैंकिंग

संदर्भ

भारत के राज्यों में पंचायत राज प्रणाली के समग्र अंतरण सूचकांक (Devolution Index-DI) रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है।

अंतरण सूचकांक (Devolution Index-DI) 2024 के बारे में -

- उद्देश्य: यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायती राज संस्थाओं को उनके अंतरण (शक्ति और संसाधनों का हस्तांतरण) के आधार पर रैंक प्रदान करती है।
- इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया।
- **रैंकिंग पैरामीटर:** समग्र अंतरण सूचकांक (DI), ढांचा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही।
- शीर्ष 3 राज्य:
 - कर्नाटक: 72.23 (रैंक 1)
 - o केरल: 70.59 (रैंक 2)
 - o तमिलनाडु: **68.38** (रैंक 3)
- अन्य उच्च प्रदर्शनकर्ताः
 - महाराष्ट्र: 61.44 (रैंक 4)
 - उत्तर प्रदेश: 60.07 (रैंक 5)
 - गुजरात: 58.26 (रैंक 6)
- मध्यम प्रदर्शन करने वाले: बिहार, असम्, सिक्किम्, उत्तराखंड।

प्रमुख आयामों में प्रदर्शन -

- ढांचा (कानूनी और संस्थागत व्यवस्था)
 - े **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** केर<mark>ल</mark> (<mark>8</mark>3.56)
 - विचारित मानदंड:
 - नियमित पंचायत चुनाव
 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मिहलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
 - राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना
- कार्य (पंचायतों को दी गई शक्तियों का विस्तार)
 - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: तिमलनाडु (60.24) और कर्नाटक (57.62)
 - मुख्य निष्कर्षः
 - कर्नाटक पंचायतों को अधिकतम कार्य सौंपता है।
 - कर्नाटक में ग्राम पंचायतों (जीपी) के पास मजबूत कराधान शक्तियां हैं।
- वित्त (निधि की उपलब्धता और राजकोषीय स्वायत्तता)
 - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: कर्नाटक (70.65)
 - मृत्यांकन कारक:
 - 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का समय पर जारी होना
 - पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता.
- जवाबदेही (पारदर्शिता, सामाजिक लेखा परीक्षा और शासन तंत्र)
 - o शीर्ष प्रदर्शनकर्ताः कर्नाटक (81.33)
 - महत्वपूर्ण संकेतक:
 - सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यान्वयन
 - ग्राम सभा की भागीदारी
 - पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय



- पंचायतों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
- पदाधिकारी (पंचायत प्रशासन के लिए मानव संसाधन)
 - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: गुजरात (90.94)
- क्षमता निर्माण (पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण)
 - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: तेलंगाना (86.19)
 - मूल्यांकन के आधार परः
 - पंचायत प्रशिक्षण संस्थानों की उपस्थिति
 - निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्रोत: The Hindu - Devolution Index





बीमा कम्पनियां ग्राहक-अनुकूल बीमा विस्तार योजना पर सहमत


संदर्भ

भारत की बीमा कम्पनियां बीमा विस्तार के लिए एक सरल, व्यापक और ग्राहक-अनुकूल मॉडल पर सहमत हो गई हैं।

बीमा विस्तार के बारे में -

- यह एक सरल, व्यापक और ग्राहक-अनुकूल समग्र बीमा उत्पाद है।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा शुरू।
- कवरेज क्षेत्र:
 - जीवन बीमा (मृत्यु कवरेज)
 - व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
 - संपत्ति बीमा
 - सर्जिकल अस्पताल में भर्ती कवरेज
- **सह-बीमा मॉडल(Co-Insurance Model):** प्रत्येक प्रकार के जोखिम को एक सर्वव्यापक सह-बीमा व्यवस्था के अंतर्गत उस विशिष्ट बीमा लाइन से संबंधित सभी बीमाकर्ताओं द्वारा सह-बीमित किया जाता है।

बीमा ट्रिनिटी: बीमा विस्तार के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण -



स्रोत: The Hindu - Bima Vistaar



दिल्ली-NCR में पराली जलाने से PM2.5 में योगदान केवल 14% है

संदर्भ

एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार पराली जलाने से दिल्ली-NCR में PM2.5 में केवल 14% का योगदान होता है और यह क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर का प्राथमिक स्रोत नहीं है।

अध्ययन का विवरण -

- अध्ययन में क्षेत्र माप, वायु द्रव्यमान प्रक्षेपवक्र और कण फैलाव और रासायनिक परिवहन मॉडल सिमुलेशन का उपयोग किया गया।
- पराली जलाने की घटनाओं में कमी:
 - 2015 से 2023 तक पंजाब और हिरयाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 50% से अधिक की गिरावट आई है।
 - o 2023 में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 31% और हरियाणा में 37% की कमी आई।

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ताः

- पराली जलाने में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, 2016 के बाद से सर्दियों के महीनों (दिसंबर से फरवरी) के दौरान दिल्ली-NCR में PM2.5 सांद्रता अत्यधिक उच्च और "बहुत खराब" से "गंभीर" श्रेणी में रही।
- सर्दियों के महीनों में स्थिर हवाएं, कम मिश्रण ऊंचाई और तापमान में बदलाव जैसे कारक दिल्ली-NCR में उच्च प्रदूषण स्तर में योगदान करते हैं।
- यह इंगित करता है कि पराली जलाने से परे स्रोत वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हवा और मौसम की भूमिका:

- जबिक तेज हवाएं पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन कम हवा और तापमान में परिवर्तन जैसी मौसमी स्थितियां प्रदूषकों को हवा में फंसाने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से होन<mark>े वा</mark>ला स्थानीय उत्सर्जन भी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रदूषण के स्थानीय स्रोत -

- अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में रात में PM2.5 का स्तर और CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पता चलता है कि प्रदूषण स्थानीय स्रोतों जैसे वाहनों, बायोमास जलने और जीवाश्म ईंधन जलने से होता है।
- यदि पराली जलाना मुख्य कारण होता, तो CO का स्तर हर समय स्थिर रहता, लेकिन रात में यह बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय प्रदूषण का प्रमुख योगदान होता है।
- स्थानीय योगढानः
 - परिवहन क्षेत्र PM2.5 में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसका योगदान 30% है।
 - स्थानीय बायोमास जलाने का योगदान लगभग 23% है, जबिक निर्माण उद्योग और सड़क की धूल का योगदान 10% है।
 - खाना पकाने और औद्योगिक गतिविधियों का योगदान लगभग 5-7% है।
 - मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में पराली जलाने से PM2.5 स्तर में केवल 13% का योगदान होता है।

स्रोत: The Hindu - Stubble Burning



नेपाल से भारत में सोयाबीन तेल के आयात में वृद्धि

संदर्भ

अप्रैल-नवंबर 2024 की अवधि के दौरान नेपाल से आयात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14 गुना बढ़ गया।

इसके बारे में और अधिक जानकारी -

- अप्रैल-नवंबर 2024 की अविध के दौरान भारत का कुल सोयाबीन तेल आयात 19% बढ़कर लगभग 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 में 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- इसी अवधि के दौरान ब्राजील (एक प्रमुख सोयाबीन तेल उत्पादक) से आयात में गिरावट आई, जो पिछले वर्ष के 849.19 मिलियन डॉलर से घटकर 549 मिलियन डॉलर रह गया।
- सोयाबीन तेल आयात पर शुल्क संशोधन और प्रभाव:
 - भारत ने भारतीय तिलहन किसानों की सुरक्षा के लिए सितंबर 2024 में पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल जैसे परिष्कृत तेलों पर मूल सीमा शुल्क 20% बढ़ा दिया।
 - शुंल्क में इस वृद्धि के कारण नवंबर 2024 में नेपाल से सोयाबीन तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो नवंबर 2023 में 1.42 मिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर 23.46 मिलियन डॉलर हो गया।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य तेलों पर नेपाल के कम टैरिफ (भारत की तुलना में) उसे कम लागत पर भारत को तेल को परिष्कृत और पुन: निर्यात करने की अनुमित देते हैं।

नेपाल के लिए टैरिफ लाभ -

- नेपाल-भारत व्यापार संधि (2009) के तहत भारत में अपने उत्पादों के लिए शून्य-शुल्क पहुंच के कारण नेपाल को 30% टैरिफ लाभ प्राप्त है।
 - नेपाल-भारत व्यापार संधि के तहत, सिगरेट, शराब और सौंदर्य प्रसाधन जैसी कुछ वस्तुओं को छोड़कर, नेपाल को अपने अधिकांश सामानों के लिए भारतीय बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है।
- नेपाल द्वारा भारत को सोयाबीन तेल के बढ़ते निर्यात ने नेपाल-भारत व्यापार संधि के तहत व्यापार लाभों के संभावित दुरुपयोग पर चिंता बढ़ा दी है।

सोयाबीन -

- यह एक फलीदार फसल है जो अपनी उच्च प्रोटीन और तेल सामग्री के लिए जानी जाती है।
- यह खाद्य तेल, प्रोटीन युक्त पशु आहार और बायोडीजल जैसे औद्योगिक उत्पादों का एक प्रमुख स्रोत है।
- बढने की स्थितियाँ:
 - यह एक खरीफ फसल है और उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है।
 - बढ़ते मौसम के दौरान इसे 20°C से 30°C के बीच इष्ट्रतम तापमान की आवश्यकता होती है।
- भारत के शीर्ष 3 सोयाबीन उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
- शीर्ष सोयाबीन उत्पादक देश: ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत।

स्रोत: Indian Express - 14 fold increase




सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड(Sovereign Green Bonds- SGrB)

संदर्भ

भारत के SGrB निर्गमों को निवेशकों की रुचि प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे सरकार के लिए ग्रीनियम(greenium) हासिल करना कठिन हो गया है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में -

- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) सरकारों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण उपकरण हैं, जिनका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और जलवायु लचीलापन बढ़ाना है।
- भारत ने 2022-23 से आठ बार SGrB जारी किए हैं, जिससे कुल मिलाकर लगभग 53,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
- सरकार SGrB से जुटाई गई धनराशि का लगभग 50% ऊर्जा-कुशल परियोजनाओं पर खर्च करती है, जैसे कि रेल मंत्रालय के तहत विद्युत इंजनों का उत्पादन।
- SGrB की कार्य प्रणाली:



भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) बाजार की चुनौतियां -

- निवेशक मांग की कमी:
 - भारत में निम्न ग्रीनियम: वैश्विक स्तर पर, ग्रीन बॉन्ड 7-8 आधार अंकों का ग्रीनियम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत में, यह अक्सर सिर्फ 2-3 आधार अंक रहा है।
 - ग्रीनियम से तात्पर्य उस बचत से है जो ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता को संबंधित कूपन भुगतान पर प्राप्त होती है, क्योंकि बॉन्ड ग्रीन है।
 - यह वह राशि है जिससे पारंपिरक बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड पर प्राप्ति कम होती है।
- तरलता संबंधी मुद्देः
 - छोटे निर्गम आकार और निवेशकों द्वारा बॉन्ड को परिपक्कता तक अपने पास रखने की प्रवृत्ति ने द्वितीयक बाजार में व्यापार को बाधित कर दिया है।
 - एक जीवंत द्वितीयक बाजार के बिना, SGrB पारंपिरक बॉन्ड के लाभों में से एक से वंचित हो जाते हैं - व्यापार करने और तरलता तक पहुंच की क्षमता।
- हरित निवेश के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभावः
 - सामाजिक प्रभाव निधि और जिम्मेदार निवेश अधिदेश के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।
- जारी करने के बाद पारदर्शिता के मुद्देः



- ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इस बारे में पारदर्शिता का अभाव होने से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ है।
- भारत के आर्थिक मामलों के विभाग ने अभी तक 2023-24 के लिए आवंटन और प्रभाव रिपोर्ट जारी नहीं की है, जो निवेशकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। इससे फंड का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका आकलन करने में देरी होती है और निवेशकों का भरोसा सीमित होता है।

स्रोत: Indian Express - Sovereign Green Bonds





आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद के चालू बजट सत्र में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किए जाने की संभावना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान -

- यह विधेयक चार मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा:
 - ० पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
 - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
 - ० विदेशी अधिनियम, 1946
 - आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000

• भूमिकाएं और कार्यः

- आव्रजन अधिकारियों और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) की भूमिका को परिभाषित करता है।
- विदेशियों के पासपोर्ट, वीजा और पंजीकरण से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

संस्थाओं के दायित्वः

- शैक्षिक संस्थान: विदेशी नागरिकों को प्रवेश देना होगा तथा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- अस्पताल और चिकित्सा संस्थान: विदेशी नागरिकों को भी प्रवेश देना आवश्यक है।
- **आव्रजन अधिकारियों को अधिक शक्तियाँ** नए कानून के तहत, आव्रजन अधिकारियों के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
 - अवैध आप्रवासियों को हिरासत में लेने, जांच करने और निर्वासित करने के लिए अधिक अधिकार।
 - प्रतिबंधित विदेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति।
 - यदि कोई विदेशी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है तो उसे प्रवेश या ठहरने से वंचित किया जा सकता है।
 - स्वीकार्यता के संबंध में आव्रजन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

• दंड प्रावधानः

- बिना पासपोर्ट के प्रवेश करनाः 5 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- जाली दस्तावेजों का उपयोग या आपूर्ति: 2 से 7 वर्ष का कारावास और ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना।
- वीज़ा अविध से अधिक समय तक रुकना: 3 वर्ष का कारावास और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना।

पता लगाने और निर्वासून में राज्य की भूमिकाः

- राज्य पुलिस की भागीदारी: चूंकि अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए कोई संघीय पुलिस बल नहीं है, इसलिए राज्य पुलिस को यह कार्य सौंपा गया है।
- निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशियों के लिए राज्य हिरासत केंद्र(detention centres) स्थापित कर सकते हैं (हालांकि विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है)।

विदेशियों की आवाजाही पर नज़र रखने के अन्य तंत्र

• गृह मंत्रालय ने राज्यों से दो सिमतियां गठित करने को कहा है, ताकि 1 जनवरी, 2011 से पहले और बाद में भारत में प्रवेश करने वाले तथा अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां रहने वाले विदेशियों की पहचान की जा सके।



• विदेशी पहचान पोर्टल: यह राज्य पुलिस को अवैध विदेशियों के बायोमेट्रिक्स और विवरण अपलोड करने की अनुमित देता है, जिससे धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ जारी करने (जैसे आधार कार्ड) को रोकने में मदद मिलती है।

स्रोत: The Hindu - New Bill on Foreigners






समाचार में स्थान

कुक आइलैंड्स

- हाल ही में कुक आइलैंड्स ने चीन के साथ "व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्य योजना" पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता कुक आइलैंड्स और चीन के बीच राजनियक और आर्थिक संबंधों का विस्तार करता है।
- न्यूजीलैंड द्वारा उठाई गई चिंताएँ:
 - न्यूजीलैंड का दावा है कि कुक आइलैंड्स द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उससे ठीक से परामर्श नहीं किया गया था।
 - कुक आइलैंड्स एक स्वशासी इकाई है लेकिन इसका न्यूजीलैंड के साथ "स्वतंत्र सहयोग" समझौता है।



- अवस्थिति: दक्षिण प्रशांत महासागर
- कुल द्वीप: 15 ज्वालामुखी और प्रवाल द्वीप
- कुंक आइलैंड्स पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है।
 यह न्यूजीलैंड के साथ स्वतंत्र सहयोग में एक स्वशासित राष्ट्र के रूप में कार्य करता है।
- यह आंतिरक मामलों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करता है लेकिन रक्षा और विदेश नीति के लिए न्यूजीलैंड पर निर्भर करता है।
- "स्वतंत्र सहयोग" समझौताः
 - कुक आइलैंड्स के निवासी न्यूजीलैंड के नागरिक हैं और न्यूजीलैंड में स्वतंत्रतापूर्वक रह/काम कर सकते हैं।
 - न्यूजीलैंड वित्तीय सहायता और राजनयिक समर्थन प्रदान करता है।

स्रोत: The Hindu - Cook Island



समाचार संक्षेप में

8वां हिंद महासागर सम्मेलन

 हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। इसका विषय था "समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा"।

हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) के बारे में -

- IOC की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2016 में की गई थी। पहला सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर और बाहर के देशों के लिए क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा और सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: The Hindu - Indian Ocean conference

'भारत का सबसे बड़ा' कोयला ब्लॉक

हाल ही में देओच-पचमी कोयला ब्लॉक में खनन शुरू हो गया है।

देओच-पचमी कोल ब्लॉक के बारे में -

- स्थान: बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल, बंगाल-झारखंड सीमा के पास
- यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है।
- स्थानीय लोगों की प्रमुख चिंताएं: जबरन भूमि अधिग्रहण, जनजातीय समुदायों का विस्थापन, पर्यावरण क्षरण और वादा किए गए रोजगार और मुआवजे में देरी।

तथ्य

- भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है।
- भारत में कुल कोयला भंडार के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: झारखंड > ओडिशा > छत्तीसगढ़ > पश्चिम बंगाल > मध्य प्रदेश।
- उच्चतम रिज़र्वः अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत
- उच्चतम उत्पाद्नः चीन, भारत, इंड्रोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया।
- 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है: एन्थ्रेसाइट (उच्चतम ग्रेड), बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट (निम्नतम ग्रेड)।
- भारत में प्रमुख कोयला खदानें: झरिया (झारखंड), रानीगंज (पश्चिम बंगाल), कोरबा (छत्तीसगढ़), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।

स्रोत: The Hindu - India's largest coal block

बड़ी टेक कंपनियों द्वारा DEI लक्ष्यों से पीछे हटना

गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कम्पिनयां अपनी DEI पहलों से पीछे हट रही हैं।

DEI क्या है?

- DEI का तात्पर्य Diversity(विविधता), Equity(समता) और Inclusion(समावेशन) से है।
- DEI के उद्देश्यः
 - विविध समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना(विविधता)।
 - पिछले भेदभाव को ठीक करने के उपाय प्रदान करना(समता)।
 - व्यक्तियों को उनके साथियों के साथ आगे बढ़ने में सहायता करना (समावेश)।
- **DEI द्वारा संबोधित भेदभाव के उदाहरण:** लिंगवाद, नस्लवाद, धार्मिक घृणा, जातिवाद, योग्यतावाद, समलैंगिकता-भय आदि।



• विविध व्यक्तियों को नियुक्त करना, उनके प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराना, या उनके लिए विशिष्ट अवसर आरक्षित करना जैसी DEI योजनाओं का उद्देश्य कार्यस्थल पर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है।

स्रोत: The Hindu - DEI Goals





संपादकीय सारांश

पंचायती राज संस्थाएं

संदर्भ

वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी और समाज दोनों में बड़े बदलाव पंचायतों को अप्रासंगिक बनाने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय -

- भारत में पंचायती राज संस्थाओं(PRIs) को औपचारिक रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पेश किया गया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को संस्थागत रूप दिया।
- उद्देश्यः सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक स्वशासन को बढावा देना।
- 73वें संशोधन की मुख्य विशेषताएं:
 - त्रिस्तरीय प्रणाली: ग्राम पंचायत (गांव स्तर), पंचायत सिमिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर)।
 - नियमित चुनाव: निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए हर पांच वर्ष में चुनाव।
 - आरक्षणः समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 50% सीटें आरक्षित।
 - शक्तियों का हस्तांतरण: संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों (जैसे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास) को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रबंधित किए जाने की सूची दी गई है।

पंचायती राज की सफलताएँ -

- व्यापक राजनीतिक भागीदारी: पंचायत चुनावों में अब कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है , जिसमें 30 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी वाली व्यवस्थाओं में से एक बन गई है।
- महिला सशक्तिकरण: लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (लगभग 50%) अब स्थानीय शासन का हिस्सा हैं, जिससे लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन: पंचायती राज संस्थाएं मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना), मध्याह्र भोजन योजना, स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम तथा ग्रामीण आवास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
- स्थानीय नेतृत्व को सुँदढ़ बनाना: पंचायती राज संस्थाओं से उभरे कई जमीनी नेता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन हए हैं।
- सेवा वितरण में सुधार: मजबूत पंचायती राज संस्थाओं वाले क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीण विकास परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन देखा गया है।

पंचायती राज व्यवस्था के संकट कारक -

- **सार्वजनिक भागीदारी में गिरावट:** स्थानीय शासन में सार्वजनिक भागीदारी में कमी।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता: केंद्र सरकार के कई कार्यक्रम अब PRI को दरिकनार कर सीधे नागरिकों को लाभ पहुंचाते हैं (उदाहरण के लिए, पीएम-किसान नकद हस्तांतरण योजना)।
 - o PRI अब निर्णय लेने वाली संस्थाओं के बजाय कार्यान्वयन एजेंसियों तक सीमित रह गई हैं।
- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में गतिरोध: राज्य सरकारों को प्रभावी कामकाज के लिए कर्मचारियों का हस्तांतरण करने तथा स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक नियंत्रण सौंपने की आवश्यकता है, लेकिन प्रगति रुक गई है।



- ं पंचायती राज मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 20% से भी कम राज्यों ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को हस्तांतरित किया है।
- राजकोषीय स्वायत्तता में कमी: तेरहवें वित्त आयोग (2010-15) के तहत पंचायतों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण ₹1.45 लाख करोड़ से बढ़कर 15वें वित्त आयोग (2021-26) के तहत ₹2.36 लाख करोड़ हो गया।
 - हालाँिक, असंबद्ध अनुदानों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो तेरहवें वित्त आयोग के 85% से घटकर पंद्रहवें वित्त आयोग में 60% हो गया है।
- तीव्र शहरीकरण: भारत में तीव्र शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण नीतिगत फोकस शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित हो गया है।
 - 1990 में भारत की लगभग तीन-चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, जो घटकर लगभग 60% रह गयी है तथा इसमें गिरावट जारी है।

सिस्टम को पुनर्जीवित करने के तरीके -

- पंचायती राज के लिए नया दृष्टिकोण: सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के साधन मात्र से आगे बढ़कर पंचायतों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाना।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: स्थानीय नियोजन, निर्णय लेने और जवाबदेही प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। एक नेटवर्क वाली पंचायती राज प्रणाली सुरक्षित आंतरिक प्रवास का समर्थन करके ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाट सकती है।
- जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करना: जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बड़े पैमाने पर सक्षम बनाने में पंचायतों की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करना1. पंचायतें वैज्ञानिक प्रथाओं, पारंपिरक ज्ञान और सार्वजिनक वित्त को मिलाकर साझा संपित्त संसाधनों के प्रबंधन में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त कर सकती हैं।
- समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन: पंचायतें समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और निवासियों के लिए क्षमता निर्माण को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- स्थानीय शासन को पुनर्जीवित करना : स्थानीय शासन को वास्तविक रूप से पुनर्जीवित करना, क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (94 करोड़ लोग) अभी भी गांवों में रहता है, जिनमें से 45% से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं।

स्रोत: The Hindu: Panchayati Raj Movement is in Distress



पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच संबंध

संदर्भ

अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मुहम्मद यूनुस के उभरने से पाकिस्तान के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि

- 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए, तथा ऐतिहासिक शिकायतें सुलह में बड़ी बाधा बनी रहीं।
- शेख हसीना के कार्यकाल (15 वर्ष) के दौरान पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे रहे, जो उनके भारत समर्थक रुख और पाकिस्तानी सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के साथ उनके परिवार के इतिहास के कारण और भी खराब हो गए।
- **2016 राजनियक तनाव**: दोनों देशों ने अपने राजनियकों को निष्कासित कर दिया, जिससे बिगड़ते संबंध उजागर हुए।

पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाक्रम -

- बांग्लादेश ने रंगपुर में एक उच्च स्तरीय पािकस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की।
- बांग्लादेश सेना के सेकेंड-इन-कमांड लेफ्टिनेंट-जनरल एस.एम कमर-उल-हसन की पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुखों से मुलाकात के लिए रावलिंपेंडी की यात्रा।
- ढाका और इस्लामाबाँद के बीच सीधी उँड़ानें फिर से शुरू।
- अरब सागर में पाकिस्तान के अमन 2025 नौसैनिक अभ्यास में बांग्लादेश की भागीदारी, जिसमें एक दशक से अधिक समय में पहली बार पाकिस्तान में एक प्रमुख बांग्लादेशी युद्धपोत की तैनाती भी शामिल है।

बदलाव को प्रेरित करने वाले अंतर्निहित कारक -

- भारत विरोधी भावनाः बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों की राजनीति सामान्यतः भारत विरोधी भावना पर आधारित है।
- विदेश नीति में विविधता: ढाका उपमहाद्वीप में अपनी विदेश नीति में विविधता लाने का इरादा रखता है।
- नये सहयोगियों की खोज: बांग्लादेश एक नये प्रकार के राष्ट्रवाद, एक नये प्रकार की सरकार और नये सहयोगियों की खोज में है।
- माफी की मांग कमजोर: मुहम्मद यूनुस ने "1971 के नरसंहार" के लिए पाकिस्तान से माफी मांगने की ढाका की मांग को कमजोर कर दिया है, तथा अब "मुद्दों के समाधान" की मांग कर रहे हैं।
- आर्थिक पहलू: पाकिस्तान का लक्ष्य एक साल के भीतर बांग्लादेश के साथ वार्षिक व्यापार को मौजूदा स्तर से चार गुना से अधिक बढ़ाना है। अगस्त और दिसंबर 2024 के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अनुमानित 27% की वृद्धि हुई है।

जमीनी हकीकत और चुनौतियां -

- बांग्लादेश में जनमत: कई बांग्लादेशी अभी भी पाकिस्तान से अलगाव को अपनी राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला मानते हैं, इस ऐतिहासिक शिकायत का समाधान किए बिना पर्याप्त कूटनीतिक प्रगति करना चुनौतीपूर्ण है।
 - 1971 के मुक्ति संग्राम के घाव पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना पर अमिट छाप छोड़ी है।
- पाकिस्तान से सीमित लाभ: दोनों देशों की आर्थिक वास्तविकताओं के बीच असंतुलन को देखते हुए, इस्लामाबाद के साथ साझेदारी से ढाका को सीमित सामरिक और आर्थिक लाभ मिलेगा।



• भौगोलिक पृथक्करण: भारतीय भूभाग द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान का भौगोलिक पृथक्करण, सुचारू व्यापार के लिए संपर्क और राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न करता है।

भारत के लिए निहितार्थ -

- भारत के प्रभाव का मुकाबला करना: इस कूटनीतिक पैंतरेबाजी को पाकिस्तान द्वारा सुश्री हसीना के निष्कासन के बाद ढाका में नई दिल्ली के कमजोर पड़ते प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की बढ़ती सूची: शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, जिसमें मालदीव और नेपाल का चीन के साथ बढ़ता गठजोड़ भी शामिल है, जिससे नई दिल्ली के लिए चिंता का एक नया कारण उत्पन्न हो गया है।
- संभावित धुरी: बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को शामिल करने वाली धुरी की गुंजाइश है।
- सुरक्षा चिंताएँ: पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा भारत के लिए चिंता का विषय है।

भारत का दृष्टिकोण -

- **आर्थिक और भौगोलिक वास्तविकताओं को समझना**: भारत को अपना दृष्टिकोण आर्थिक और भौगोलिक वास्तविकताओं की समझ पर आधारित करना चाहिए।
- **आर्थिक निर्भरता**: बांग्लादेश के लिए भारत के साथ अपनी भौगोलिक निकटता और आर्थिक निर्भरता को देखते हुए, भारत विरोधी रुख अपनाना चुनौतीपूर्ण होगा।
 - 2023 में, बांग्लादेश को भारतीय निर्यात 11.25 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग 2 बिलियन डॉलर था।
- सतर्कता और रेड लाइन्स: भारत को सतर्क रहना चाहिए तथा आतंकवाद, हथियारों के व्यापार, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ अपनी रेड लाइन्स को स्पष्ट करना चाहिए।
- रचनात्मक जुड़ाव: नई दिल्ली को बांग्लादेश के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विकास परियोजनाओं पर जोर देना चाहिए। दोनों देशों को सीमा व्यापार और तस्करी, जल बंटवारे और शरणार्थी चिंताओं पर सहयोग जारी रखना चाहिए।
- भावनाओं पर ध्यान देना: नई दिल्ली को बांग्लादेश में व्याप्त भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी भावनाओं पर सक्रियता से ध्यान देने की जरूरत है तथा ढाका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी आर्थिक भागीदारी का लाभ उठाना चाहिए।
 - बांग्लादेश के भीतर भारत के अनुकूल क्षेत्र को बनाए रखना दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है

स्रोत: The Hindu: Interpreting the recent Pakistan Bangladesh thaw



विस्तृत कवरेज

विकास बनाम पर्यावरण बहस

संदर्भ

रिवरफ्रंट डेवलपमेंट (RFD) परियोजना के विरोध में 'चिपको' आंदोलन के लिए पुणे के बानेर में 2,500 से अधिक नागरिक एकत्र हुए।

मुख्य मुद्दे क्या हैं?

- पारिस्थितिक क्षति।
- पेड़ों की कटाई पर चिंता (11,000 पेड़ काटे जाएंगे)।
- आशंका है कि नदी के किनारों पर कंक्रीटीकरण से बाढ़ का खतरा कम होने के बजाय बढ़ सकता है।

बुनियादी ढांचे का विकास क्यों आवश्यक है?

- आर्थिक विकास: बुनियादी ढांचा उत्पादकता को बढ़ाता है, व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, और निवेश को आकर्षित करता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- रोजगार सृजनः परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास में बड़े पैमाने की परियोजनाएं विभिन्न कौशल स्तरों पर रोजगार पैदा करती हैं।
- बेहतर कनेक्टिविटी: सड़क, रेलवे और डिजिटल बुनियादी ढांचे से पहुंच में वृद्धि होती है, यात्रा का समय कम होता है और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- जीवन की बेहतर गुणवत्ता: स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास में बुनियादी ढांचे से जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण में सुधार होता है।
- **औद्योगिक और तकनीकी उन्नति**: आधुनिक बुनियादी ढांचा उद्योगों को समर्थन देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
- लचीलापन और आपदा प्रबंधन: मजबूत बुनियादी ढांचा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करता है, सुरक्षा और त्वरित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

विकास पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है

- वनों की कटाई और आवास की हानि: शहरों, उद्योगों और कृषि के विस्तार से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है।
 - परिपक्क वृक्ष महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं (कार्बन अवशोषण, पिक्षयों और छोटे स्तनधारियों के लिए आवास, सूक्ष्म जलवायु विनियमन) जिन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
 - ्र **उदाहरण**: मेट्रो प्रियोजना के लिए आरे वन (मुंबई) की मंजूरी के कारण विरोध प्रदर्शन हुआ।
- वायु और जल प्रदूषण: औद्योगीकरण और शहरीकरण से वायु प्रदूषण (CO₂, PM2.5, NOx उत्सर्जन) बढ़ता है।
 - o अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण जल निकाय दूषित हो जाते हैं।
 - उदाहरण: सफाई प्रयासों के बावजूद गंगा और यमुना निदयाँ गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग: उद्योगों, परिवहन और बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है।
 - इससे तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाएं होती हैं।
 - उदाहरण: भारत में हीटवेव (2023) शहरी विस्तार के कारण जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है।
- मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण: रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, खनन और वनों की कटाई से मृदा की उर्वरता कम हो रही है।
 - 。 शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो जाती है।



- उदाहरण: राजस्थान में अत्यिधक चराई और वनों की कटाई के कारण थार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।
- जल की कमी और भूजल का ह्रास: सिंचाई, उद्योगों और शहरी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक जल निष्कर्षण से भूजल का स्तर कम हो जाता है।
 - ् बांध और नदी मार्ग परिवर्तन से प्राकृतिक जल प्रवाह और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।
 - उदाहरण: बैंगलोर और चेन्नई को भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है ।
- मूल निवासियों की आजीविका का नुकसान: बांध, राजमार्ग और खनन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को विस्थापित करती हैं।
 - o खेती और मछली पकडने जैसे पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित होते हैं।
 - उदाहरणः हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़) कोयला खनन परियोजना से आदिवासियों की भूमि और जंगलों को खतरा है।
- प्रतिस्थापन चुनौतियां: शमन के रूप में "10 गुना अधिक पेड़ लगाने" की प्रथा भ्रामक है क्योंकि पुनः लगाए गए पेड़ अक्सर परिपक्क पेड़ों के पारिस्थितिक मूल्य से मेल नहीं खा सकते हैं।
 - प्रतिस्थापन वृक्ष आवरण की गणना और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में वैज्ञानिक दृढता का अभाव है।
- शासन में खामियां: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), वन संरक्षण अधिनियम (1980) और ईआईए (पर्यावरण प्रभाव आकलन) जैसे कानून मौजूद हैं।
 - हालाँकि, उद्योगों के पक्ष में पर्यावरण संबंधी नियमों को कमजोर करने से अक्सर संघर्ष की स्थिति। पैदा हो जाती है।

वनों की कटाई के खिलाफ प्रमुख आंदोलन -

- 1730 में, राजस्थान के खेजड़ली गांव की अमृता देवी ने जोधपुर के महाराजा के पेड़ों को काटने के आदेश का साहसपूर्वक विरोध किया।
 - जब वह और उनकी बिश्नोई जनजाति के 363 सदस्य विरोध स्वरूप पेड़ों से लिपट गए तो उन्हें क्रुरतापूर्वक मार दिया गया।
 - इस बलिंदान के कारण महाराजा ने क्षेत्र में वृक्ष-कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया।
- साइलेंट वैली आंदोलन (1973-198:5): जैव विविधता की रक्षा के लिए केरल में एक जलविद्युत परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
- चिपको आंदोलन (1973): वनों की कटाई के खिलाफ उत्तराखंड में एक जमीनी स्तर का आंदोलन।
- भोपाल गैस त्रासदी (1984): एक प्रमुख औद्योगिक आपदा जिसने पर्यावरण नियमों पर चर्चा को तेज कर दिया।
- **बक्सवाहा वन हीरा खदान विरोध (2021)**: हीरा परियोजना के लिए बक्सवाहा जंगल में 200,000 से अधिक पेड काटे जाने की उम्मीद थी।
 - इसके परिणामस्वरूप व्यापक विरोध प्रदर्शन, कानूनी चुनौतियां और सोशल मीडिया अभियान चलाए गए, जिनका उद्देश्य परियोजना को रोकना और बक्सवाहा वन को बचाना था।
- **नांदगांव सौर संयंत्र विरोध (2025):** महाराष्ट्र के नांदगांव में स्थानीय किसानों ने टाटा पावर के प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर विकास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
 - किसान, जो पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती कर रहे थे, इस पिरयोजना को कॉर्पोरेट द्वारा भूमि हड़पने की कोशिश के रूप में देख रहे थे, जिसके कारण कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया और पिरयोजना की प्रगति रुक गई।



भारत में वन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून -

- भारतीय वन अधिनियम, 1927: वनों के प्रबंधन को विनियमित करता है, वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में वर्गीकृत करता है, और वन संरक्षण और वाणिज्यिक उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है और शिकार, अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974: जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है तथा जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करता है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980: यह अधिनियम सरकारी अनुमोदन के बिना वनों की कटाई और वन भूमि को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: यह अधिनियम केंद्र सरकार को प्रदूषण मानक निर्धारित करने और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करने सिहत पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002: इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना तथा उनके उपयोग से समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,
 2006: वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है और वन संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016: विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनरोपण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को अनिवार्य बनाता है।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाता है, और औद्योगिक उत्सर्जन को प्रतिबंधित करता है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010: पर्यावरण विवादों को निपटाने और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन पर समिति की सिफारिशें -

- ब्रुन्डलैंड आयोग (1987): पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक गृतिविधियों के बीच अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय लेखांकन, सतत विकास और रियो डी जेनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर चर्चा हुई।
- मिश्रा समिति (1976): रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तराखंड में जोशीमठ का निर्माण ठोस चट्टान के बजाय ढीली रेत और पत्थर के जमाव पर हुआ है, तथा भूमि के धंसने को रोकने के लिए इस क्षेत्र में नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।
- डॉ. कस्तूरीरंगन समिति (2012): टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण का प्रस्ताव रखा गया, तथा सिफारिश की गई कि इस क्षेत्र के 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में नामित किया जाए।
- टीएसआर सुब्रमण्यम समिति (2014): नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और प्रभावी पर्यावरणीय शासन के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए पर्यावरण कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया।
- न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन समिति (2018): भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया
 गया, जिसमें स्थायी जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर अपशिष्ट निपटान रणनीतियों, रीसाइक्लिंग
 को बढ़ावा देने और प्रदूषण में कमी पर जोर दिया गया।

प्रस्तावित समाधान

 पेड़ों की कटाई न्यूनतम करना: पेड़ों को सावधानीपूर्वक, व्यक्तिगत मूल्यांकन के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में काटा जाना चाहिए।



- विकास एजेंसियों को पहले मौजूदा पेड़ों को बनाए रखने के लिए योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करने या संशोधित करने के विकल्प तलाशने चाहिए।
- वृक्ष स्थानांतरण एवं संरक्षण: जहां संभव हो, उपयुक्त वृक्षों को हटाने के बजाय स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
 - वृक्षों (आकार, प्रजाति, स्वास्थ्य सिहत) का मानिचत्रण और सूचीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, ताकि विकास योजनाओं को तदनुसार अनुकूलित किया जा सके।
- एकीकृत शहरी नियोजन: एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करना जिसमें शहरी योजनाकारों, पर्यावरण विशेषज्ञों और विकास प्राधिकरणों को शुरू से ही शामिल किया जाए ताकि ऐसी परियोजनाएं डिजाइन की जा सकें जो विकास और हरित संरक्षण दोनों में संतुलन बनाए रखें।
- सतत विकास मॉडल: वृत्ताकार अर्थव्यवस्था, हरित अवसंरचना और निम्न-कार्बन विकास जैसी अवधारणाएं इस अंतर को पाट सकती हैं।
- मजबूत शासन और समन्वय: विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और वृक्ष संरक्षण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक समर्पित वृक्ष प्राधिकरण का गठन करना।

स्रोतः

- The Big Picture Development vs Environment
- The Hindu: Tree hugging protest against Pune riverfront project reignites development vs nature debate

